न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस)

प्रकरण सं0:–58 / 2022

GCMS CASE NO- 2022/58

चुन्नीलाल पुत्र श्री खेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। .... प्रार्थी

बनाम

1. पेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहम्मद मंजूर पुत्र सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. खुशीमोहम्मद पुत्र युनूसअली जाति मुसलमान निवासी चक 9 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 14 कोलो.एक्ट 1954

उपस्थितः–

1. श्री राकेश सारस्वत, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री दलवीर सिंह सोवना, अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1
3. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता अप्रार्थी नं0..2,3
4. राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ

निर्णय दिनांकः– 29.07.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं किः–

अप्रार्थी सं. 1 पेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ द्वारा आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आरजी काश्त भूमि को पुख्ता आवंटन कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही हरदासवाली का ख.न. 122 / 10 में 30.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन हुआ जिसका नवीनीकरण किया जाकर रकम राजस्व खजाना राज्य में जमा करवाता आ रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पुख्ता आवंटन हेतू प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मिस्ल सं. 860 / 2007 निर्णय दिनांक 08.06.2007 को रोही हरदासवाली के ख.न. 122 / 10 की 15.00 बीघा कमाण्ड व 10.14 बीघा अनकमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कुल 25.14 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई। आवंटी द्वारा उक्त भूमि की किश्तें खजाना राज में जरिये चालान दिनांक 21.08.2007 को जमा करवा दी गई। अप्रार्थी द्वारा यह भी बताया की उक्त भूमि पर पिछले 37 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि आवंटन करवाने के प्श्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए के तहत प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण सं. 301/2015 पर दर्ज किया गया, जिसमें अंकित किया की रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 122/10 में 30.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर सम्वत् 2030 में आवंटन हुई थी, तत्पश्चात उक्त भूमि बरवक्त सैटलमेन्ट चक 1 एच.डब्ल्यू.डी में पैमूद हुआ। सरकारी कर्मचारीगण द्वारा आवंटित रकबा को मुताबिक कब्जा नक्शा में तरमीम नहीं किया, सैटलमेंट विभाग के पटवारी वा कर्मचारीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को सुने बिना पीठ पीछे आवंटित भूमि को रकबा राज दर्शा दिया व जो रकबा अप्रार्थी नं0 1 के कब्जा व आंवटन नही था, को अप्रार्थी नं0 1 के नाम से फिटिंग कर समृद्ध काश्तकारों को फायदा पहुॅचाया गया। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा घोशणात्मक वादपत्र में यह भी दर्ज किया कि बरवक्त फिटिंग चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 25 बीघा (12.00 बीघा कमाण्ड व 13.00 बीघा अनकमाण्ड) में फिट किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा का त नहीं है, जबकि वादी/अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 1 एच. डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा भूमि कब्जा का त में है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी साबित है। रकबा राज दर्ज होने से खातेदारी अधिकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा ना दिये जाने के कारण उक्त घोशणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.03.2016 को वाद वादी स्वीकार किया गया व आवंटित भूमि चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि कलमजन कर रकबा राज दर्ज करने के आदे । दिये गये तथा जरिये वाद पत्र चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 19, 22 [illegible] 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा कुल 28 [illegible] खातेदार पुख्ता आवंटी दर्ज करने के आदेश दिये गये। [illegible] फैसला व [illegible] संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाद पत्र के [illegible] किया है कि बरवक्त फिटिंग चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 25 बीघा (12.00 बीघा कमाण्ड व 13.00 बीघा अनकमाण्ड) में फिट किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त शुरू से नहीं है, जबकि वादी/अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा भूमि कब्जा का त में है इसी अनुसार घोषणात्मक डिक्री अप्रार्थी नं0 1 द्वारा चाही गई हैं। अदालतवाला द्वारा भी अपने आदे ा व डिक्री में स्पश्ट आदेश पारित किये गये की प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि कलमजन कर रकबा राज दर्ज करने के आदे ा दिये गये। उक्त भूमि जिसको रकबा राज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अपने पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जो कि गैर कानूनी व सरकार को स्पश्टया धोखा देकर प्राप्त किये है, जो कि निरस्त किये जाने के योग्य है। अप्रार्थी द्वारा उक्त तमाम तथ्यों को छिपाकर व अपना कब्जा काश्त ना होते हुए भी अवैधानिक व राज्य सरकार को धोखा देकर प्राप्त किये खातेदारी अधिकार पत्र के आधार पर दिनांक 09.06.2021 को जैर प्रार्थना पत्र रकबा में से वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा अप्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दी व चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 16, 22 ता 25 की 1.265 है. भूमि अप्रार्थी सं. 3 को बेचान कर दी जो कि नकल बैयनामां दिनांक 09.06.2021 से साबित है उक्त बेचान की गई भूमि का नामान्तरण भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में हो चुका है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता सं. 120 व 124 से भी साबित है। अप्रार्थी सं. 1 पेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ को रोही हरदासवाली का ख.न. 122/10 में 25.14 बीघा भूमि दिनांक 08.06.2007 को पुख्ता आवंटन की गई थी जो कि चक प्लान में आने पर चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 में 2.548 है. व प.न. 234/2 में 3.036 है. तथा प.न. 234/3 में 0.253 है. कुल 5.832 है. भूमि पैमूद हुई थी जिसका इन्तकाल सं. 157 दिनांक 22.01.2021 को ही दर्ज हुआ है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2062 के खाता सं. 1 में अंकित नोट से भी साबित है। अप्रार्थी द्वारा सरकार को धोखा देकर नाजायज फायदा उठाया गया है व गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर रकबा को बेचान कर दिया गया है, यह जॉच का विषय है। जबकि उक्त रकबा डिक्री के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जम[illegible] रकबा राज दर्ज किया जाना चाहिये था। डिक्री शुदा रकबा [illegible] प.न. 233/14 का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 14, 17 [illegible] चुन्नीलाल पुत्र श्री खेमाराम का एक प्रकरण बाबत नियमन अन्तर्गत नियम 21-ए सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत अदालत मातहत आवंटन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

सूरतगढ़ के समक्ष प्रकरण सं. 77/2015 जैरकार है जिसमें दिनांक 07.05.2018 को स्थगन आदेश भी प्रार्थी के पक्ष में जारी हो चुका है, उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के हक में स्थगन आदेश पारित होने के कारण डिक्री दिनांक 10.03.2016 की पालना नहीं होने के कारण अप्रार्थी न. 1 द्वारा बेजा फायदा उठाकर रकबा राज घोषित रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जो कि काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी द्वारा सरकार को धोखा देकर अपने पक्ष में भूमि का आवंटन निरस्त होने के उपरान्त भी चक 1 एच.डब्ल्यू.डी के प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि रकबा राज के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जो कि निरस्ती किये जावे तथा अवैधानिक खातेदारी अधिकार के तहत पश्चातवर्त्ती विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2021 जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में किये गये है जो शुरू से शून्य होने के कारण निष्प्रभावी किये जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 पेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ को रोही हरदासवाली का ख.न. 122/10 में 30.00 बीघा भूमि आरजी का त पर आवंटन हुई थी। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पुख्ता आवंटन हेतू प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मिसल सं. 860/2007 निर्णय दिनांक 08.06.2007 को रोही हरदासवाली के ख.न. 122/10 की 15.00 बीघा कमाण्ड व 10.14 बीघा अनकमाण्ड कुल 25.14 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई। आवंटी द्वारा उक्त भूमि की किश्तें खजाना राज में जरिये चालान दिनांक 21.08.2007 को जमा करवा दी गई। उक्त भूमि आवंटन करवाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए के तहत प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण सं. 301/2015 पर दर्ज किया गया, जिसमें अंकित किया की रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 122/10 में 30.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर सम्वत् 2030 में आवंटन हुई थी, तत्पश्चात उक्त भूमि बरवक्त सैटलमेन्ट चक 1 एच.डब्ल्यू.डी में पैमूद हुआ। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा घोषणात्मक वादपत्र में यह भी दर्ज किया कि बरवक्त फिटिंग चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 25.00 बीघा (12.00 बीघा कमाण्ड व 13.00 बीघा अनकमाण्ड) में फिट किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त नहीं है, जबकि वादी/अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता [illegible], 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा भूमि कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

में है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी साबित है। रकबा राज दर्ज होने से खातेदारी अधिकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा ना दिये जाने के कारण उक्त घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.03.2016 को वाद वादी स्वीकार किया गया व आवंटित भूमि चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि कलमजन कर रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा जरिये वाद पत्र चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा तथा प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा कुल 28.00 बीघा गैर खातेदार पुख्ता आवंटी दर्ज करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाद पत्र के पैरा सं. 7 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि बरवक्त फिटिंग चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 25 बीघा (12.00 बीघा कमाण्ड व 13.00 बीघा अनकमाण्ड) में फिट किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त शुरू से नहीं है, जबकि वादी/अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा भूमि कब्जा काश्त में है इसी अनुसार घोषणात्मक डिक्री अप्रार्थी नं0 1 द्वारा चाही गई हैं। अदालतवाला द्वारा भी अपने आदेश व डिक्री में स्पष्ट आदेश पारित किये गये की प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि कलमजन कर रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त भूमि जिसको रकबा राज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अपने पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जो कि गैर कानूनी व सरकार को स्पष्टतया धोखा देकर प्राप्त किये है, जो कि निरस्त किये जाने के योग्य है। अप्रार्थी द्वारा उक्त तमाम तथ्यों को छिपाकर व अपना कब्जा काश्त ना होते हुए भी अवैधानिक व राज्य सरकार को धोखा देकर प्राप्त किये खातेदारी अधिकार पत्र के आधार पर दिनांक 09.06.2021 को जैर प्रार्थना पत्र रकबा में से वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा अप्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दी व चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. [illegible] 22 [illegible] 25 की 1.265 है. भूमि अप्रार्थी सं. 3 को बेचान कर दी जो कि नकल [illegible] दिनांक 09.06.2021 से साबित है। उक्त बेचान की गई भूमि का नामांतरण भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में हो चुका है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता सं. 120 व 124 से भी साबित है। डिक्री शुदा रकबा वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/14 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कि.न. 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 23 की 3.796 है. भूमि की बाबत चुन्नीलाल पुत्र श्री खेमाराम का एक प्रकरण बाबत नियमन अन्तर्गत नियम 21–ए सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत अदालत मातहत आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रकरण सं. 77/2015 जैरकार है जिसमें दिनांक 07.05.2018 को स्थगन आदेश भी प्रार्थी के पक्ष में जारी हो चुका है, उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के हक में स्थगन आदेश पारित होने के कारण डिक्री दिनांक 10.03.2016 की पालना नहीं होने के कारण अप्रार्थी न. 1 द्वारा बेजा फायदा उठाकर रकबा राज घोषित रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जो कि काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी द्वारा सरकार को धोखा देकर अपने पक्ष में भूमि का आवंटन निरस्त होने के उपरान्त भी चक 1 एच.डब्ल्यू.डी के प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा भूमि रकबा राज के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जो कि निरस्ती किये जावे तथा अवैधानिक खातेदारी अधिकार के तहत प्श्चातवर्त्ती विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2021 जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में किये गये है जो शुरू से शून्य होने के कारण निष्प्रभावी किये जावें।

अप्रार्थी नं0 1 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 के नाम से जैर प्रार्थना पत्र रकबा टी.सी. पर आंवटन था, जो कि पुख्ता हो चुका हैं। वर्तमान में अप्रार्थी नं0 1 के कब्जा में चला आ रहा हैं। अप्रार्थी नं0 1 जैर प्रार्थना पत्र रकबा का खातेदार हैं एवं उसे खातेदार कृषक होने के नाते भूमि बैचान करने का अधिकार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं0 1 को तंग करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा पूर्व में प्रार्थी के पिता खेमाराम पुत्र मूलाराम के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र फर्जी आंवटन करवाने के खिलाफ प्रस्तुत किया था। जो कि स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का 30 बीघा का आंवटन निरस्त कर दिया था। जिससे रंजिशवश प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जिसकी प्रति संलग्न हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2 व 3 ने भी अप्रार्थी नं0 1 के कथनो को सहमति प्रदान की एवं निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 2 व 3 खरीददार काश्तकार हैं। मौके पर अप्रार्थी नं0 2 व 3 का कब्जा हैं। अप्रार्थी नं. 2 व 3 खातेदार कृषक हैं एवं खातेदार कृषक के खिलाफ शिकायत प्रार्थना पत्र नही चल सकता हैं एवं साथ ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2016 के वि[illegible] मण्डल अजमेर में द्वितिय अपील चल रही हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खा[illegible] फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन अप्रार्थी [illegible] के नाम से रोही हरदासवली ख0न0 122/10 में 30 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आंवटित थी। वरवक्त पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

आंवटन एसडीओ सूरतगढ द्वारा जरिये मि0नं0 860/07 द्वारा ख0न0 122/10 में 25.14 बीघा क0/अ0क0 पुख्ता कर दी गई। चक प्लान बनने पर अप्रार्थी नं0 1 का उक्त रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 25 बीघा (12.00 बीघा कमाण्ड व 13.00 बीघा अनकमाण्ड) में फिट किया गया। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष एक वादपत्र पेश किया जो कि प्रकरण सं0 301/2015 पर दर्ज हुआ। जिसमें अप्रार्थी नं0 1 द्वारा स्वयं स्वीकार किया हैं कि अप्रार्थी नं0 1 के कब्जा काश्त के रकबा की सही फीटिंग नही हुई हैं। अप्रार्थी नं0 1 का कब्जा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा भूमि कब्जा का त में है, अप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13 बीघा पर कब्जा काश्त शुरू से नहीं है। अतः वादपत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 को चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 का कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 की 16.00 बीघा व प.न. 233/15 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा कुल 28–00 बीघा भूमि का पुख्ता आंवटी दर्ज किया जावें एवं अप्रार्थी नं0 1 के नाम से दर्ज रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 12.00 बीघा व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल 13.00 बीघा को कलमजन कर आराजीराज दर्ज किया जावें। अप्रार्थी नं0 1 का उक्त घोषणा का वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। डिक्री के अधीन रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 233/14 का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 23 की 3.796 है. भूमि की बाबत प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र श्री खेमाराम का एक प्रकरण बाबत नियमन अन्तर्गत नियम 21–ए सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत अदालत मातहत आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रकरण सं. 77/2015 में दिनांक 07.05.2018 को स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2016 को राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ। जिसकी भली भांति जानकारी अप्रार्थी नं0 [illegible] अप्रार्थी नं0 1 द्वारा इस बात का फायदा उठाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम [illegible] गलत इन्द्राज के आधार पर राज्य सरकार को धोखा देकर [illegible] घोषित रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, [illegible]16 ता 25 की 3.036 है0 अ.क व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 0.253 है0 अ.क. कुल 3.289 है0 अ.क. भूमि के खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी से दिनांक 22.02.2021 को प्राप्त कर लिये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी नं0 1 द्वारा जानबुझकर, बिना कब्जा व मिथ्या कथनो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। जिसे हम निरस्त करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा जारी अप्रार्थी नं0 1 पेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली के नाम से जारी खातेदारी सनद संख्या 4364 दिनांक 22.02.2021 चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.न. 234/2 का कि.न. 11, 12, 16 ता 25 की 3.036 है0 अ.क व प.न. 234/3 का कि.न. 5 की 0.253 है0 अ.क. कुल 3.289 है0 अ.क. भूमि की हद तक निरस्त फरमाये जाते हैं। तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त 3.289 है0 अ.क. (13—00 बीघा) भूमि को आराजीराज दर्ज कर तुरन्त प्रभाव से कब्जा बहक सरकार लिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक २९.07.2024 मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner